न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 106/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– नरपतसिह 2– देवीसिह 3– भगवानसिह 4– अनोपसिह पिसरान पाबूसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम साथीन तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर		1– ओमप्रकाश पुत्र जयराम 2– पारसराम पुत्र जयराम 3– नेमाराम पुत्र जयराम 4– श्रीमती कनीदेवी पत्नी जयराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम साथीन तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–5–2017 जो सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2016 अनवान नरपतसिह बनाम ओमप्रकाश मे पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–3–2018

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय की पेश की कि ग्राम साथीन की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा नंबर 1293 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई हुई है, जो पूर्व खातेदार पाबुसिह पुत्र रतनसिह की खातेदारी की थी । उक्त खातेदार ने उक्त भूमि जरिये बक्शीशनामे अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 10–6–1970 को बक्शीश कर दी । उक्त बक्शीशनामे के आधार पर अपीलांटगण के नाम नामांतरकरण संख्या 400 भरा गया तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया तथा अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा उक्त भूमि के पूव्र खातेदार पाबूसिह पुत्र रतनसिह से खसरा नंबर 1293 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्वयं के द्वारा खरीद करना बताते हुए पटवारी हल्का से नामांतरकरण संख्या 540 स्वीकृत करवा लिया जबकि नामांतरकरण संख्या 540 स्वीकृत करते समय पाबूसिह खातेदार नही थे । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2017 के द्वारा अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया जाने पर उक्त द्वितीख अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांट की अपील को खारीज किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को इस आधार पर खारीज की है कि इस भूमि बाबत पूर्व मे इसी न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की हुई है तथा वाद लंबित चल रहा है जबकि दोनो प्रकरणो के तथ्य भिन्न भिन्न है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे केवल यह तय किया जाना था कि क्या

म्युटेशन संख्या 540 सही एवं विधिवत तरीके से भरा गया है या नही । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अपीलाधीन भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 400 पूर्व से ही स्वीकृत था तथा उसके अस्तित्व मे रहते अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 540 स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारीज करने मे विधिक त्रुटि होने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान ही नही दिया कि अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व वाद किसके द्वारा एवं क्यो प्रस्तुत किया है जबकि प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर एक वाद रेकर्ड दुरस्ती का प्रस्तुत किया जो यह कहते हुए कि जमाबंदी मे से नाम गलत तरीके से हटा दिया जो नियमित वाद की श्रेणी मे नही आता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यो एवं कानूनी स्थिति को समझे बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार पाबूसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत ने खसरा नंबर 1293 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 21–9–71 को ही रेस्पो0 के पिता जयराम वल्द पाबूराम जाट को कर दिया था तथा उक्त बेचान के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 स्वीकृत हुआ था । जबकि उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपीलांटगण के पक्ष मे बक्शीशनामा दिनांक 4–11–71 का होना बताया है तथा बक्शीशनामा न तो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया है और न ही इस न्यायालय मे ही प्रस्तुत किया है।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित बक्शीशनामे के आधार पर म्युटेशन संख्या 400 अपीलांटगण के पक्ष मे स्वीकृत हो चुका था तो उक्त भूमि बाबत पुनः खातेदार पाबुसिह को बेचान करने का अधिकार ही नही था तो अपीलांट को रेकर्ड दुरस्ती बाबत पृथक से कार्यवाही की जानी चाहिये थी ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 पंजीबद्ध बेचान के आधार पर विधिवत स्वीकृत हुआ था तथा अपीलाधीन भूमि बाबत एक वाद भी अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 एवं अपीलांटगण के पक्ष मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 400 आदि का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नंबर 1293 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा पूर्व खातेदार पाबुसिह पुत्र रतनसिह की खातेदारी की थी तथा खातेदार पाबुसिह ने उक्त भूमि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 10–6–1970 को बक्शीश कर दी तथा उक्त बक्शीशनामे के आधार पर अपीलांटगण के नाम नामांतरकरण संख्या 400 स्वीकृत हुआ तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद भी हो चुका था परंतु उक्त खसरा नंबर 1293 की 24 बीघा 13 बिस्वा की 1/2 हिस्से

की भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता के पिता जयराम को करना बताते हुए उसके आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

इसके विपरीत रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन है कि हमारे पिता जयराम के पक्ष मे बेचान दिनांक 21–9–71 का है जबकि अपीलांट के पक्ष मे बक्शीशनामा दिनांक 7–11–71 का है तथा बक्शीशनामा रेकर्ड पर पेश नही किया गया है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं रेकर्ड अनुसार यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि म्युटेशन संख्या 540 भरते समय क्या राजस्व रेकर्ड मे अपीलांटगण का नाम दर्ज हो गया था अथवा नही । बिना जांच के अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नही हो सकती है कि अपीलांट का नाम म्युटेशन संख्या 400 के द्वारा इन्द्राज होने के बावजुद पटवारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 540 के कॉलम संख्या 5 मे पाबुराम का नाम दर्ज रखते हुए उक्त म्युटेशन रेस्पो0 के पिता जयराम का नाम गलत रूप से स्वीकार कर लिया गया हो । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेख अनुसार अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारान के बीच एक नियमित वाद भी लंबित है, तो नियमित वाद के निर्णय से ही पक्षकारान के अधिकारो का विनिश्चयन होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर